'रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99





The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART II---Section 3--Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 मं.
 552]
 मई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2007/अग्रहायण 27, 1929

 No. 552]
 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2007/AGRAHAYANA 27, 1929

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

'नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 774(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) को धारा 22 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6 के उप-नियम (6) में, पहले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

> ''परन्तु यह कि कोई केवल आपरेटर, जिसका केन्द्रीय सरकार को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, 11 मई, 2006 को या उससे पूर्व किया गया था और वह विचाराधीन है, 31 दिसम्बर, 2007 तक की अवधि के लिए या ऐसा रजिस्ट्रीकरण मंजूर या खारिज किए जाने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी टेलीविजन प्रसारण या चैनल को अपनी केवल सेवा में जारी रख सकेगा या सम्मिलित कर सकेगा।''

> > [फा. सं. 1601/71/2006-टीवी (आई)]

जोहरा चटर्जी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :--मूल नियम सा.का.नि. 729(अ), तारीख 29 सितम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका सा.का.नि. 459(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 1996, सा.का.नि. 710(अ), तारीख 8 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 282(अ), तारीख 11 मई, 2006, सा.का.नि. 452(अ), तारीख 31 जुलाई, 2006, सा.का.नि. 459(अ), तारीख 2 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 469(अ), तारीख 9 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 697(अ), तारीख, 11 नवम्बर, 2006, सा.का.नि. 286(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2007 और सा.का.नि. 482(अ), तारीख 12 जुलाई, 2007 द्वारा संशोधन किया गया।

5022 GV2007

(1)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the3rd December. 2007

G.S.R. 774(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Third Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cable Television Networks Rules, 1994, in rule 6, in sub-rule (6), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:

"Provided that a cable operator may continue to carry or include in his cable service any television broadcast or channel, whose application for registration to the Central Government was made on or before 11th May, 2006 and is under consideration, for a period upto 31st December, 2007 or tell such registration has been granted or refused, whichever is earlier."

[F.No.1601/71/2006-TV(I)]

ZOHRA CHATTERJI, Jt. Seey.

Note :— The principal rules were published vide GSR 729(E), dated the 29th September, 1994 and amended vide Nos-GSR 459(E), dated the 8th October, 1996, G.S.R. 710(E), dated the 8th September, 2000, G.S.R. 282(E), dated the 11th May, 2006, G.S.R. 452(E), dated the 31st July, 2006, G.S.R. 459(E), dated the 2nd August, 2006, G.S.R. 469(E), dated the 9th August, 2006, and G.S.R. 697(E), dated 11th November, 2006, G.S.R. 286(E) dated 11th April, 2007, G.S.R. 482(E), dated the 12th July, 2007.